राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 605/2017/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाडी — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कैलाशपति पॉलीप्लास्ट प्रा0 लि0,
डी–11, सेक्टर 6, नोएडा, यू.पी. — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 350/अपील्स–I/आरवैट/2015–16 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 में धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति व कर क्रमशः रूपये 1,65,000/– एवं 27,500/– कुल मांग राशि रूपये 1,92,500/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2015 को वाहन संख्या UP-16-CT-1887 में नोएडा (यू.पी.) से भिवाडी (राजस्थान) के लिये परिवहनित किये जा रहे माल को चैक किया गया। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल Plastic granules के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने मैसर्स उत्तरांचल राजस्थान गुडस कैरियर की जी.आर. नं. 080 दिनांक 14.10.2015 तथा मैसर्स दिव्य फार्मेसी, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 551 दिनांक 14.10.2016 जिसमें डिलीवरी का स्थान मैसर्स सोमिया इण्डस्ट्रीज, एच–1–1375, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी अंकित है, प्रस्तुत किये। दस्तावेजों के अवलोकन से जांच अधिकारी ने पाया कि उन पर राजस्थान के व्यवहारी के टिन नम्बर अंकित नहीं है अतः करवंचना के संदेह में वाहन को निरूद्ध किया गया। बिना टिन नं0 अंकित परिवहनित माल किये जाने पर इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन

निरन्तर.....2

मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस की पालना में उक्त संव्यवहार को यू.पी. से उत्तराखण्ड राज्य के लिये होना तथा राजस्थान में माल का आगमन केवल जॉब वर्क हेतु होना जाहिर करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं कर रूपये 1,92,500/– आरोपित किया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है, अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा माल प्लास्टिक दाना का विक्रय मैसर्स दिव्य फार्मेसी, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को इन्वॉयस क्रमांक 551 दिनांक 14.10.2016 से किया गया। उक्त माल से क्रेता मैसर्स सोमिया इण्डस्ट्रीज, एच–1–1375, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी से जॉब वर्क कार्य कराया जाता है। इसलिये क्रेता को प्रत्यर्थी के निर्देशानुसार पूर्व की भांति उक्त माल की डिलीवरी मैसर्स सोमिया इण्डस्ट्रीज, एच–1–1375, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी को मैसर्स उत्तरांचल राजस्थान गुडस कैरियर की जी.आर.नं. 080 दिनांक 14.10.2015 के जरिये दी जानी थी। वक्त जांच समस्त तथ्य मय दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रत्यर्थी द्वांरा नियमित रूप से उक्त क्रेता को बिक्री संव्यवहार निरन्तर किये जा रहे है। उक्त माल के विक्रेता तथा क्रेता दोनों ही राजस्थान के बाहर यानि अर्थात यू.पी. तथा उत्तराखण्ड के हैं। भिवाडी (राजस्थान) में माल का आगमन मात्र जॉब वर्क के लिये हुआ है। उक्त संबंध में समस्त वांछित दस्तावेज प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या या गलत साबित किये बिना ही मात्र प्राप्तकर्ता व्यवहारी के टिन नं. इनवॉयस पर अंकित नहीं होने के आधार पर शास्ति आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भूलवश माल प्राप्तकर्ता व्यवहारी का टिन नं. इन्वॉयस में अंकित होने से छूट गया था, तीनों व्यवहारी पंजीकृत

निरन्तर.....3

व्यवहारी है एवं इनके मध्य नियमित रूप से खरीद–बिक्री–जॉब वर्क के संव्यवहार होते रहे है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों/तथ्यों को अन्यथा प्रमाणित किये बिना ही, मात्र प्रेषिति का टिन नं. अंकित नहीं होने के कारण उक्त संव्यवहार को करवंचना की मंशा से किया जाना मान लिया जो कि विधिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के समस्त वांछित दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु जांच अधिकारी ने मात्र इस आधार पर शास्ति का आरोपण किया है कि इन्वॉइस में राज्य के व्यवहारी की टिन संख्या अंकित नहीं थी। प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ में राजस्थान स्थित जॉबकर्ता व्यवहारी के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जिसमें पूर्व में करवाये गये जॉब वर्क का हिसाब भी शामिल था, प्रस्तुत कर दिया था। अतः प्रस्तुत प्रकरण में न तो धारा 78(2)(ए) का ही कोई उल्लंघन है, न ही प्रस्तुत दस्तावेज मिथ्या या कूटरचित थे तथा न ही कोई करवंचना किया जाना पाया जाता है, लिहाजा धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण का कोई प्रकरण नहीं बनता है। अतः अपीलीय आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, फलतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

7. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निणर्य सुनाया गया।

01.08.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य